लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29 जून, 2016 को सांय 5.00 बजे प्रशासनिक भवन कुलपति कार्यालय में आहूत की गयी।

बैठक में निम्नवत् अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1.	**डा0 एस0 बी0 निमसे**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**	उपस्थित
2.	प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी	प्रतिकुलपति	सदस्य	उपस्थित
3.	श्रीमती मधु जोशी,	विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	उपस्थित
4.	श्री ओ.पी. द्विवेदी,	विशेष सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	उपस्थित
5.	श्री राम कुमार	कार्यवाहक कुलसचिव	सदस्य	उपस्थित
6.	प्रो0 ए. के. शर्मा,	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य	उपस्थित
7.	श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य	उपस्थित

कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 14 मार्च, 2016 की अनुपालन आख्या पर अन्य बिन्दु संख्या –1 आंशिक संशोधन करते हुए सर्वसम्मति शब्द के स्थान पर बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ पढ़ा जाए के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

लखनऊ विश्वविद्यालय में New Purchase Rules लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया जाना।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या –5/2016/253/18–2–2016–3(एस.पी.)/2010 दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के बिन्दु संख्या –4 (4) में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप उच्च शिक्षा विभाग से अनुमोदन के उपरान्त लागू किया जाए।

बिन्दु संख्या–03

नगर निगम द्वारा आरोपित गृहकर के भुगतान के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया जाना।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बकाया गृहकर का भुगतान कर दिया जाए तथा भविष्य में यह ध्यान रखा जाए कि गृहकर का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निष्पादित किया जाए, जिससे देयता लम्बित न हो।

F.O.

बिन्दु संख्या–04

लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित बिल्डिंग वर्क्स कमेटी के निर्णयों पर विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–05

लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्षो से खड़ी पुरानी गाड़ियों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को आर.टी.ओ. को संदर्भित करते हुए गाड़ियों के न्यूनतम् निर्धारित मूल्य में शिथिलता हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।

बिन्दु संख्या–06

लखनऊ विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में अध्ययनरत् एम.फिल विषय में ली जाने वाली शुल्क के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया जाना।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एम.फिल. नियमित एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2015–16 में प्रवेशित छात्र/छात्राओं से तृतीय सेमेस्टर हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए तथा सत्र 2016–17 हेतु नियमित एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं से निम्न तालिका अनुसार प्रति सेमेस्टर शुल्क लिया जाए।

Sl. No.	Head	M. Phil Regular (Semester)	M. Phil SFC (Semester)
1.	Admission Fee	250	250
2.	Games Fee	62.50	62.50
3.	Library Fee	200	200
4.	Tuition Fee	2142	6500
5.	Student Union Fee	37.50	37.50
6.	Delegacy Fee	25	25
7.	Poor Student Fund	100	100
8.	Examination Fee	1800	3000
9.	Development Fee	500	3075
10.	Cultural Activities Fee	50	50
11.	Student Medical Relief. Fund	200 (only in I & III Semester)	200 (only in I & III Semester)
12.	Total	5367	13500
13.	Govt. Aid in Tuition Fee	1356	-
14.	To be paid by Student + Additional Fee if any	4011	13500

F.O.

मधुजोशी

बिन्दु संख्या–07

बी.एड. पाठ्यक्रम में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के फलस्वरूप परीक्षा शुल्क निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से एम.ए. सेमेस्टर प्रणाली में लिए जा रहे परीक्षा शुल्क रू0 2400/– के समान ही बी.एड. पाठ्यक्रम में भी परीक्षा शुल्क रू0 2400/– प्रति सेमेस्टर लिए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–08

अध्यक्ष एवं महामत्री लखनऊ विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद की मॉग के अनुरूप न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या 194/36–3–2014–07 (न्यू.वे.)/4 दिनांक 28 01.2014 के कम में कार्यालय श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश जी.टी. रोड कानपुर के पत्र संख्या 2727–55 दिनांक 24.09.2015 का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया जाना।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश जी.टी. रोड कानपुर के पत्र संख्या 2727–55 दिनांक 24.09.2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप दैनिक मजदूरी निम्नवत् दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

कम संख्या	श्रेणी	दैनिक मजदूरी रू0
1	अकुशल	262.11
2	अर्द्धकुशल	288.32
3	कुशल	322.96

समिति द्वारा इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि विश्वविद्यालय में प्रचलित नियत वेतन, न्यूनतम् दैनिक वेतन से कम हो जाता है तो उसे भी बढ़ाकर बराबर कर लिया जाए।

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की सहमति से।

बिन्दु संख्या –1

यू.पी.जे.ई.ई.बी.एड. 2016 के पूर्व में पारित आय–व्ययक में आंशिक संशोधन पर विचार–विमर्श किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्रीमती मधू जोशी, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा एवं श्री ओ. पी. द्विवेदी, विशेष सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि पारित बजट के पुनर्विनियोग प्रथम अनुपूरक (First Supplementry) की प्रकिया से ही किया जा सकता है। अतः तद्नुसार कार्यवाही की जाए।

बिन्दु संख्या –2

प्रो0 हरि कृष्ण अवस्थी द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय को एण्डाउमेण्ट फण्ड में दी गयी धनराशि के सम्बन्ध में विचार–विमर्श।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्रीमती मधू जोशी, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा एवं श्री ओ. पी. द्विवेदी, विशेष सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्त अधिकारी से चर्चा के उपरान्त यह मत व्यक्त किया गया कि वर्तमान में उक्त धनराशि विश्वविद्यालय की है। अतः विश्वविद्यालय में किये जा रहे निर्माण कार्यो की प्रकिया अनुसार एवं विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य कराए जाएं। जहॉतक किसी निर्माण के Dedication का प्रश्न है, इसमें कोई वित्तीय बिन्दु निहित नही है। अतः वित्त समिति का मत वॉछित नही है।

F.O. मधु जोशी

बिन्दु संख्या –3

परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा विभाग हेतु निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर दो नये वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी के उपरान्त उसके स्थान पर एक नया वाहन क्रय किया जाए।

बिन्दु संख्या –4

अनुशासनिक समिति की बैठक में आमंत्रित वाह्य सदस्यों को देय मानदेय रू0 1,000/– को बढ़ाकर रू0 2,000/– किये जाने पर विचार–विमर्श किया गया।

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या –5

चयन समिति की बैठक में आमंत्रित वाह्य सदस्यों को देय मानदेय रू0 2,000/– को बढ़ाकर रू0 3,000/– किये जाने पर विचार–विमर्श। (संलग्नक–5)

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(मधु जोशी)
विशेष सचिव, उच्च शिक्षा,
उ0प्र0 शासन

(ओ.पी. द्विवेदी)
विशेष सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त अधिकारी

(राम कुमार)
कार्यवाहक कुलसचिव

(प्रो0 यू. एन. द्विवेदी)
प्रति–कुलपति

(प्रो0 ए. के. शर्मा)
परीक्षा नियंत्रक

(डा0 एस.बी. निमसे)
कुलपति